नियम व शर्तें

1. नीलामी की प्रक्रिया ''आनलाइन ई नीलामी'' के तहत की जायेगी जो हमारी वेबसाइट https://ucobank.auctiontiger.net पर दिनांक 13.03.2018 को 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य हर 5 मिनट के विस्तार पर उपलब्ध रहेगी।

2. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसी है जहां है'' व ''जैसी है जो है'' व ''जो वहां है'' तथा ''बिना किसी वापसी'' के आधार पर होगी। इच्छुक निविदाओं को सलाह दी जाती है कि वे बिक्री के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति की रेवेन्यू/एस.आर.ओ. रिकार्ड, शीर्षक, पहचान, विस्तार, आयाम, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी या बाधाओं की जाँच कर संतुष्ट हो लें। बिक्री की सम्पत्ति के विषय में निविदा दाखिल करने के बाद इस तरह का सम्पत्ति पर प्रभार बाधाओं पर किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. इच्छुक निविदाकर्ता को वैध ईमेल पता रखना आवश्यक होगा। सक्षम निविदाकर्ता ई–नीलामी के लिए मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (आक्शन टाइगर) अहमदाबाद से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए श्री राम शर्मा मोबाइल नं. 8000023297, ई–मेल up@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, पर सम्पर्क करें।

4. नीलामी में भाग लेने वाले निविदिकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने व नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट https://ucobank.auctiontiger.net पर जाकर नीलामी की विस्तृत नियम व शर्तो की जानकारी प्राप्त कर लें।

5. निविदा फार्म के साथ पहचान की एक कापी भी संलग्न करें। इसके लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो लगा हुआ पहचान पत्र जो केन्द्र/उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी हुआ हो, निविदा फार्म के साथ जमा किया जा सकता है। निविदा में भाग लेने वाले ऐसे सभी लोग जो विदेशो में रह रहे है/या पी.आई.ओ जिनके पास दोहरी नागरिकता हो/ या विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (एनआरआई) को चाहिए कि वे अपने/अपनी वैध भारतीय पासपोर्ट की फोटो कापी निविदा फार्म के साथ जमा कर सकते है लेकिन मूल दस्तावेजों को मांगने पर उन्हें दिखाना होगा।

6. आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत ई.एम.डी. आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर द्वारा बैंक एकाउन्ट नं, जो प्रत्येक सम्पत्ति का अलग–अलग विज्ञापन में दिया है, में जमा करें तथा जमा धनराशि को जिस सम्पत्ति के लिए किया गया है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें। अग्रिम धनराशि (ईएमडी) असफल निविदाकर्ताओं को बिना कोई देय ब्याज के वापस कर दिया जायेगा। नीलामी के निरस्त होने की स्थिति में भी बैंक द्वारा ईएमडी राशि बिना ब्याज के निविदाकर्ताओ को लौटा दी जायेगी। इस संबंध में निविदाकर्ताओं को चाहिए कि वे नीलामी की प्रक्रिया बन्द होने के बाद बैंक से सम्पर्क कर लें।

7. निविदा फार्म की एक कापी जो सभी आवश्यक संलग्नक के साथ हो जिसमें यूटीआर नम्बर का विवरण भी हो, अधिकृत अधिकारी यूको बैंक, अंचल कार्यालय कानपुर को देय या उसकी साफ्ट कापी ईमेल द्वारा zo.kanpur@ucobank.co.in की 12.03.2018 तक प्रेषित करें। बैंक निविदा फार्म के देरी से पहुँचने या न पहुँचने या संलग्नक के न होने पर पोस्टल/कोरियर एजेन्सी/केरियर द्वारा देरी करने पर बैंक जिम्मेदार न होगा।

8. निविदा फार्म को जमा करने की अंतिम तिथि 12.03.2018 को सायं 4 बजे तक है।

9. अधूरी निविंदा फार्म बिना दस्तखत किये हुए निविदा फार्म या क्र संख्या 5,6,7, और 8 में वर्णित आवश्यकतानुसार न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। ऐसे निविदा प्रपत्र जो आरक्षित मूल्य से ऊपर नही है उन्हें भी अस्वीकार किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा के यह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार करे या अस्वीकार करें या नीलामी को स्थगित/निरस्त कर दे।

10. नीलामी/निविदा की प्रक्रिया केवल ''आनलाइन ई नीलामी'' के द्वारा ही होगी। आनलाइन नीलामी सबसे ऊँची बोली जो निविदा फार्म में दी गई होगी से प्रारम्भ होकर कम से कम बढ़ोत्तरी जो रुपया 10,000/- या इसके गुणांक में सम्पत्ति के सभी भागों पर लागू होगी।

11. केवल एक निविदाकर्ता होने की स्थिति में उसके द्वारा निविदा फार्म में दर्शायी गई धनराशि को ''एक निविदादाता वृद्धि कीमत के आधार पर बढ़ोत्तरी करनी होगी अन्यथा नीलामी को निरस्त या स्थगित कर दिया जायेगा।

12. यदि बाजार वृद्धि नीलामी (जो सबसे ऊँची बोली लगने से भी ऊँची होने की स्थिति में) जो बोली के 5 मिनट के अन्दर प्राप्त की जाती है नीलामी की प्रक्रिया अगले 5 मिनट के स्वत: ही बढ़ा दी जायेगी। यह प्रक्रिया अगले 5 मिनट के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक कोई अन्य बोलीकर्ता न आ जाये।

13. ऊँची बोली की निविदा व्यवहारिक रूप से ''सहमति आधारित'' आधार पर स्वीकार कर ली जायेगी। लेकिन ऊँची बोली लगाने वाले को जब तक बिक्री की पुष्टि न हो जाये सम्पत्ति पर अधिकार न होगा।

14. सफल निविदादाता को खरीद कीमत (जिसमें ईएमडी जिसका पहले भुगतान कर चुके है भी शामिल) का 25 प्रतिशत नीलामी खत्म होने के तुरन्त बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है के अनुसार जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की स्थिति में जमा करना होगा।

15. सफल निविदादाता को बकाया धनराशि 15 दिन के अन्दर तब भेजना होगा जब उसके पक्ष में निविदा की पुष्टि हो जाये। यदि सफल बोली कर्ता दी गयी समय सीमा के अन्दर पैसा नही जमा करता है तो उक्त सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। ऐसी स्थिति में बोलीकर्ता की जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और उस सम्पत्ति या जमा की गयी धनराशि पर उक्त बोलीकर्ता का कोई अधिकार नही रहेगा।

16. सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 10.03.2018 को 11 बजे से सायं 05 बजे तक बैंक से पूर्व सहमति लेकर निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी श्री पी एम बुनकर जो यूको बैंक अंचल कार्यालय कानपुर पिन 208001 (मोबाइल 09460552446) के अधिकृत अधिकारी है से सम्पर्क किया जा सकता है।

17. दो या दो से अधिक लोग साथ साथ निविदा में भाग ले सकते है ऐसी स्थिति में विक्रय प्रमाण पत्र उनके ज्वाइंट नामों से जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम विक्रय प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किया जायेगा।

18. सम्पत्ति में एक से अधिक आइटम की बिक्री की दशा में सम्पत्ति की बिक्री सुविधानुसार की जायेगी और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि बिक्री की प्रक्रिया बिक्री सूचना के क्रमानुसार ही हों

19. निविदा में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं को सभी सूचनाएं ईमेल द्वारा हमारे सर्विस प्रदाता द्वारा दिया जायेगा। जिस दिन ईमेल से सूचना प्रेषित की जायेगी उसे ही सूचित करने का दिन समझा जायेगा। यदि निविदादाता को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो बोली दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ई आक्शन सर्विस प्रदाता से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। सूचना न मिलने का बहाना भुगतान न करने या डिफाल्ट होना स्वीकार नहीं किया जायेगा।

20. यदि बिक्री की प्रक्रिया 30 दिन या उससे कम के लिए स्थगित कि जाती है तो पुन: बिक्री की सूचना नहीं दी जायेगी।

21. यदि ऋणी बैंक के अधिकृत अधिकारी को निर्धरित राशि में अन्य खर्चो सहित विक्रय पुष्टि सूचना पत्र जारी होने के पूर्व भुगतान कर देता है तो ऐसी स्थिति में बैंक सफल निविदादाता को बिना ब्याज के उसकी समस्त धनराशि वापस कर देगा।

22. सभी प्रकार के वैधानिक बकाया/उत्तरदायित्व आदि या जो भी सरकारी या स्थानीय बकाया हो उसे सफल बोलीकर्ता को भरना पड़ेगा।

23. सफल बोलीकर्ता को सभी प्रकार के खर्चे जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस आदि शामिल है भुगतान करना होगा।

24. नीलामी बिक्री सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधीन है।

25. किसी भी तरह की जानकारी विशेष कर किसी सम्पत्ति विशेष , दस्तावेजों के अवलोकन या अन्य नियम व शर्ते जो विक्रय से संबंधित है यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी अंचल कार्यालय कानपुर या उनके मोबाइल नं 09460552446 से किसी भी कार्य दिवस में हासिल की जा सकती है।